


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख बाद संख्या- 43/9-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
6.8.20	<p>बाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खगम0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.08.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित विदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नलिखित विवरणी की भूमि</p> <p>मौजा- <u>नौडीहा</u> धाना नं०- <u>119</u> खाता संख्या- <u>10</u> प्लॉट संख्या- <u>249</u> रकबा- <u>20</u> <u>अकड़</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- <u> </u> के पृष्ठ संख्या- <u>160</u> पर जमाबंदी रैयत <u>परसु राम गौस्वामी पिता- हनुमोहन गौस्वामी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p style="text-align: right;">आमिलेख दिनांक- <u>20.3.20</u> को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </div>	

20.03.2020

अभिलेख उपस्थानित। नोटिस अधिका द्वारा। निर्धारित तिथि को जमाबंदी
रेखा/जमाबंदी रेखा के संशोधन के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज
सम्बंधित नहीं किया गया और न ही अपना पता ही रखा गया।

आत. उक्त जमाबंदी को अंशित मानने हुए इसे विस्तार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम
1950 की धारा 4(1) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुसंधान की जाती है। अंततः
कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमझौते को देखें।

20/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर